6/8/2021 [illegible] 1988 में वकील प्रार्थी अनुपस्थित।
वकील प्रार्थी एवं प्रार्थीगण को बार-बार [illegible]
[illegible] के माध्यम से [illegible]
[illegible] तक आगामी [illegible] वकील
वकील प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अनुपस्थित नहीं हुए।
अतः प्रार्थी का वाद पत्र अस्वीकार
अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] आगामी
दिनांक [illegible] के [illegible] पेश करने हेतु
[illegible] किया जाता है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:11:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner